न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 07/2022

अपीलांट – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार
पचपदरा

1 रामेश्वर पुत्र सोना जाति कुम्हार निवासी पचपदरा
2 RAJANI REAL HOME DEVELOPERS PVT. LTD. BARMER के जरिये डायरेक्टर पवन कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति खत्री निवासी बाडमेर
3 अणदाराम पुत्र मांगीलाल जाति प्रजापत निवासी मण्डापुरा
4 रतनसिंह वल्द कानसिंह कौम पुरोहित सा. सरवड़ी खातेदार
5 ओमप्रकाश पुत्र सांवलराम जाति भील सा. देह खातेदार
6 हवादेवी पत्नि पपाराम जाति प्रजापत निवासी मण्डापुरा
7 महेन्द्रसिंह वल्द भिमसिंह कौम पुरोहित सा. सरवड़ी खातेदार
8 मालमसिंह वल्द सुजानसिंह कौम राजपुरोहित सा. पुरोहितों की ढाणी चेतपुरा तह. फलौदी जिला जोधपुर
9 लखसिंह वल्द गोरधनसिंह कौम राजपुरोहित सा. सरवड़ी खातेदार
10 मादुराम वल्द मगराज कौम सोनी सा. धेवडा खातेदार
11 मंगलसिह वल्द मोतीसिंह कौम पुरोहित सा. पटाउ खातेदार
12 भंवरसिंह वल्द मादुराम कौम सोनी सा. धेवड़ा खातेदार
13 सुआकंवर पत्नी अनोपसिंह पुरोहित सा. धेवडा खातेदार
14 सुमेराराम वल्द भंवरलाल सुथार सा. केरू खातेदार
15 देवीसिंह वल्द डूंगरसिंह पुरोहित सा. सरवड़ी खातेदार
16 बाबुसिह वल्द गोरधनसिंह कौम पुरोहित सा. सरवड़ी खातेदार
17 इंजादेवी पत्नी प्रेमसिंह पुरोहित सा. सरवड़ी खातेदार
18 जसवतसि[illegible] जगन्नाथसिंह पुरोहित सा. सरवड़ी [illegible]
19 [illegible] कौम सोनी सा. परेड खातेदार
20 नवनीत पुत्र [illegible]लाल अरोड़ा सा. सर[illegible]खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

21 माडूदेवी पत्नी सोना कौम कुम्हार सा. पचपदरा खातेदार
22 सन्तोष पत्नि आनन्दकुमार जाति खारवाल निवासी बालोतरा।
23 भरतसिंह वल्द छोगसिंह कौम पुरोहित सा. सरवड़ी खातेदार
24 मालमसिंह वल्द हिरसिंह पुरोहित सा. सरवड़ी खातेदार
25 सायरीदेवी पत्नी दताराम जाति प्रजापत सा. पचपदरा खातेदार
26 किशनसिंह पुत्र भेराराम जाति जाट सा. देह खातेदार
27 मेहराराम वल्द अचलाराम कौम जाट सा. कुम्पलिया खातेदार
28 गेराराम पुत्र मिश्राराम जाति प्रजापत निवासी पचपदरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 19 दिनांक 20.01.2007 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 533 रकबा 2–13 बीघा भूमि के विभाजन हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री रतनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 04.05.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 533 रकबा 2–13 बीघा भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 19 दिनांक 20.01.2007 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 533 रकबा 2–13 बीघा [illegible] सहखातेदारान ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार पचपदरा के [illegible] के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी [illegible] भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन कि[illegible]। पक्षकारान की पहचान लेख्य पत्र लेखक तहसील पचपदरा द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी पचपदरा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रस्तुत इकरारनामे की जांच की गई। उपरोक्त वर्णित पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकार सहमत हैं। बंटवाडा बिस्वों में होने के कारण लट्ठा ट्रेस में तरमीम व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 19 दिनांक 20.01.2007 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.01.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत विभाजन पत्र में पक्षकार विशेष को विभाजन की जा रही भूमि में किस हिस्सा विशेष की भूमि का हक किसे दिया जा रहा है, इसका न तो कोई विवरण दिया गया है और न ही कोई नक्शा/मानचित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें पक्षकार को दिये जा रहे भू–भाग की विशिष्टियों को प्रदर्शित करते हुए सहमति ली गई हो। उक्त अपीलाधीन आदेश के क्रम में जारी किये गये नामान्तरकरण संख्या 812 एवं खसरा नंबर 533 के कुल 24 खसरा (बटा) नंबर कायम किये गये परन्तु नक्शे के अभाव में लट्ठा ट्रेस में इन खसरा नंबरान का अंकन नहीं हो सका। साथ ही उपर्युक्त अंकन नहीं किये जा सकने के कारण एवं मौके छोड़े गये रास्तों का विभाजन पत्र में कहीं उल्लेख नहीं होने के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद है जिसे विधिक रूप से तय करने में स्पष्ट नक्शे के अभाव [illegible]श्यकता है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:21 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि डीआईएलआरएमपी कार्य के दौरान उक्त अपीलाधीन विभाजन की जानकारी प्राप्त हुई तथा जानकारी होने से यह अपील अंदर मयाद प्रस्तुत है। अपीलाधीन विभाजन का मानचित्र

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

व उसमें प्रत्येक खातेदार की सहमति के कोई प्रमाण लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध पारित किया गया है तथा विधिविरूद्ध आदेश को चुनौती दिये जाने हेतु मयाद कतई बाधित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मयाद शुमार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

6. हमने अपीलांट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 533 रकबा 2–13 बीघा भूमि के सहखातेदारान ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान लेख्य पत्र लेखक तहसील पचपदरा द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी पचपदरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रस्तुत इकरारनामे की जांच की गई। उपरोक्त वर्णित पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकार सहमत हैं। बंटवाडा बिस्वों में होने के कारण लट्ठा ट्रेस में तरमीम व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 19 दिनांक 20.01.2007 पारित किया गया है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के संलग्न किसी प्रकार का विभाजन नक्शा तैयार नहीं किया गया है और न ही पक्षकारान को विभाजन में दिये गये भू–भाग को चिह्नित किया गया है। ऐसे में किसी पक्षकार को विभाजन के फलस्वरूप दिये जाने वाले विशिष्ट भू–भाग को चिह्नित किये बिना किया गया विभाजन नियम विरूद्ध एवं अपूर्ण है। पक्षकारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव में अंकित किया गया है कि उपरोक्त सहकाश्तकारी की भूमि में सभी पक्षों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा यह भूमि हमें विरासत में प्राप्त हुई है, जबकि वास्तविकता यह है कि पक्षकार अलग–अलग सकनाय से है व आवासीय उपयोग के आशय से प्लॉट्स के रूप में भूमि क्रय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त आवासीय कॉलोनी का लेआउट संलग्न किया गया है। विभाजन के फलस्वरूप उक्त प्लॉट्स के मध्य छोड़े गये रास्ते [illegible] उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्याया[illegible] आवासीय कॉलोनी में प्लॉट्स के रूप में भूखण्ड धारकों का [illegible] स्वीकार करने में भारी विधिक भूल की गई है। वर्तमान में राजस्व अभिले[illegible] के कम्प्यूटरीकरण के दौरान उक्त अनियमित विभाजन स्वीकृति आदेश की जानकारी होने पर यह अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत की गई है जो यद्यपि 14 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत हुई है किन्तु मैरिट पर विवेचन से अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधिविरूद्ध पाया जाता है तथा विधिविरूद्ध आदेश को चुनौती दिये जाने हेतु मयाद बाधक नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील प्रकट तथ्यों के आधार पर अंदर मयाद शुमार की जाती है। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप राजस्व नक्शों में तरमीम किया जाना संभव नहीं है तथा तरमीम के अभाव में पक्षकारान के बीच कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहेगी। अतः उपर्युक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश दोषपूर्ण होने से बहाल रखा जाना विधिअनुकूल एवं उचित नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 19 दिनांक 20.01.2007 अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:21 IST
Reason: SelfAttested